



पत्रांक : 1477 / पविनिनि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक :

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 310-अ०प्र०-07/पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक	वर्तमान तैनाती स्थान	अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	5	4
1	श्री दीपक कुमार/कालू राम/वि०/30.04.1971/मुजफ्फरनगर/ अनु०जाति/30.04.2031/8681	वि०वि०म०, बिजनौर	2015022	उपखण्ड अधिकारी-3, अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-1, बडौत (मेरठ क्षेत्र)


- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
(ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है।
(घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

पत्रांक : 1477 / प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 20 FEB 2015

प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०)/(पाईम)/(वाणिज्य)/(जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ/मुरादाबाद क्षेत्र।
- मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय/नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
- अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर/बागपत।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बडौत।
- उप सचिव (अ०प्र०-03/04)/(07)/(गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
- संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।
- कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।


(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर



पत्रांक : 1478 / पविनिनि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक 20 FEB 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 310-अ०प्र०-07/पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/ गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	5	4
1	देवेन्द्र सिंह/बलजीत सिंह/वि०/10.11.1974/ मेरठ/ अनु०जाति/30.11.2024/8657	वि०न०वि०म०, मुजफ्फरनगर	2015007	उपखण्ड अधिकारी, जेवर अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-4, दादरी।
2	गिरजेश कुमार/शंकर लाल/वि०/21.06.1976/ बुलन्दशहर/ अनु०जाति/30.06.2036/8709	वि०का०म०, मेरठ	2015042	उपखण्ड अधिकारी, दादरी, अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-4, दादरी

- 2- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- 3- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 - (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है।
 - (घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- 4- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 5- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- 6- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक


क्रमशः 2/-

(2)

पत्रांक : 1478 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / एसओ / तद्दिनांक 20 FEB 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०) / (पाईम) / (वाणिज्य) / (जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ / मुरादाबाद क्षेत्र।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय / नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुफ्फरनगर / नोएडा / अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल, मेरठ।
11. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, दादरी।
12. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) / (०७) / (गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
13. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
14. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
15. संबंधित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।
16. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।



(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर



पत्रांक : 1473/पविनिनि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक 20 FEB 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 310-अ०प्र०-07/पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	5	4
1	राजेश्वर सिंह/निरंजन सिंह/वि०/15.08.1974/मेरठ/अनु०जाति/31.08.2034/8680	वि०वि०म०, बिजनौर	2015021	उपखण्ड अधिकारी-3, स्याना अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, स्याना (गाजियाबाद क्षेत्र)
2	सुशील कुमार/फूल सिंह/वि०/02.06.1976/सहारनपुर/अनु०जाति/30.06.2036/8697	वि०वि०म०, मेरठ	2015033	उपखण्ड अधिकारी, नन्दग्राम अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-7, गाजियाबाद (गाजियाबाद क्षेत्र)
3	अजय पाल/कस्तूरी लाल/वि०/10.12.1968/शाहजहापुर/अनु०जाति/31.12.2028/8727	वि०वि०म०, रामपुर	2015056	उपखण्ड अधिकारी, प्रताप विहार अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-5, गाजियाबाद (गाजियाबाद क्षेत्र)
4	कृष्ण कुमार/खेम सिंह/वि०/07.06.1969/मेरठ/अनु०जाति/30.06.2029/8728	वि०वि०म०, बिजनौर	2015057	उपखण्ड अधिकारी, डासना अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, पिलखुआ (गाजियाबाद क्षेत्र)

- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविपे-01-28-एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
(ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है।
(घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक


क्रमश : 2/-

20 FEB 2015

पत्रांक : 1473 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / एसओ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०) / (पाईम) / (वाणिज्य) / (जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ / गाजियाबाद / सहारनपुर / मुरादाबाद क्षेत्र।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय / नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, बिजनौर / मेरठ / रामपुर / बिजनौर / द्वितीय-बुलन्दशहर / गाजियाबाद।
11. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रयाना / पिलखुआ।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-पंचम / सप्तम, गाजियाबाद।
14. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) / (०७) / (गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
15. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
16. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
17. संबंधित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।
18. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।


 (एस०के० गुप्ता)
 अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर



पत्रांक : 1476 / पविनिनिलि / मेरठ / एसओ / स्था० / सहा०अभि० / 2014-15

दिनांक 20 FEB 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 310-अ०प्र०-07 / पाकालि / 15-16-अ०प्र०-07 / 14 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/गृह जनपद/ वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान/आवंटित क्षेत्र
1	2	3	5	4
1	ओम शंकर द्विवेदी/हरी शंकर द्विवेदी/ इलेक्ट्रानिक्स/ 30.06.65/हरदोई/ सामान्य/ 30.06.2025 /7630A	नियोजन स्कंध शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ	2015001	उपखण्ड अधिकारी-4, सहारनपुर अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-2, सहारनपुर। (सहारनपुर क्षेत्र)
2	संजय कुमार निमेष/चरन सिंह / वि० / 10.06.72/ गाजियाबाद/ अनु०जाति / 30.06.2022 / 8537	विद्युत परीक्षण खण्ड, मेरठ	2015002	सहायक अभियन्ता (मीटर-1), विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर (सहारनपुर क्षेत्र)
3	जवाहर सिंह/चन्द्रपाल सिंह/ वि० / 15.06.1972/ बुलन्दशहर/ अनु०जाति / 30.06.2032 / 8668	वि०वि०म०, अमरोहा	2015012	उपखण्ड अधिकारी-2, अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-2, सहारनपुर (सहारनपुर क्षेत्र)
4	नरेश चन्द/हरमल सिंह/ वि० / 10.09.1974/ सहारनपुर/ अनु०जाति / 30.09.2034 / 8715	कार्यालय प्रबन्ध निदेशक पविनिनिलि, मेरठ	2015048	उपखण्ड अधिकारी-2 अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-3, शामली (सहारनपुर क्षेत्र)
5	कीर्ति विजय/रामेश्वर दयाल विशोख/ वि० / 02.2.1971/ इटावा / अनु०जाति / 28.02.2031 / 8725	वि०न०वि०म०, नोएडा	2015054	उपखण्ड अधिकारी-2 अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड-1, शामली (सहारनपुर क्षेत्र)

- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो
(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
(ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है।
(घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।


प्रबन्ध निदेशक

(2)

पत्रांक : 1476 / प.वि.वि.नि.लि. / मेरठ / एसओ / तद्दिनांक 20 FEB 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) / (कारपोरेशन प्लानिंग), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी) / (वित्त) / (वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०) / (पाईम) / (वाणिज्य) / (जानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ / गाजियाबाद / सहारनपुर / मुरादाबाद क्षेत्र।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) / लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय / नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मेरठ / अमरोहा / सहारनपुर / शामली।
11. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, नोएडा / मुजफ्फरनगर / सहारनपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मेरठ।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, मुजफ्फरनगर।
14. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।
15. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, सहारनपुर।
16. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम / तृतीय, शामली।
17. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) / (०७) / (गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
18. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
19. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
20. संबंधित अधिकारी / वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।
21. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।


(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर



पत्रांक : 1479 / पविनिनि/मेरठ/एसओ/स्था०/सहा०अभि०/2014-15

दिनांक : 20 FEB 2015

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 310-अ०प्र०-07/पाकालि/15-16-अ०प्र०-07/14 दिनांक 05.02.2015 के द्वारा अवर अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर प्रोन्नत एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित अधोलिखित अवर अभियन्ता को निगम कार्य हित में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सहायक अभियन्ता के पद पर स्तम्भ सं०-05 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभि० का नाम/पिता का नाम/ट्रेड/ जन्म तिथि/गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती स्थान	अभिज्ञान संख्या	सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति उपरान्त तैनाती स्थान
1	2	3	5	4
1	संघप्रिय गौतम/धर्मवीर सिंह / वि० / 18.10.1980 / मेरठ / अनु०जाति / 31.10.2040 / 8695	वि०वि०म०, गाजियाबाद	2015031	उपखण्ड अधिकारी-2 अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर (मुरादाबाद क्षेत्र)
2	सुशील कुमार/राम नाथ सिंह / वि० / 28.11.1974 / सहारनपुर / अनु०जाति / 30.11.2034 / 8703	वि०वि०म०, बागपत	2015036	उपखण्ड अधिकारी-8 अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-3, मुरादाबाद (मुरादाबाद क्षेत्र)
3	संजय सागर/जगदीश प्रसाद / वि० / 19.08.1981 / मेरठ / अनु०जाति / 31.08.2041 / 8732	प्रवर्तन दल, नोएडा	2015060	उपखण्ड अधिकारी, किरतपुर अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड, बिजनौर (मुरादाबाद क्षेत्र)

- 2- उपरोक्त अवर अभियन्ता पूर्व परिषदादेश संख्या 485-ए-आर/राविप-01-28- एआर/89 दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से भाग लेंगे।
- 3- सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियन्त्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि :-
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयन्त्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
 - (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है।
 - (घ) समस्त चयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बतः दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- 4- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं०-79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 31.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- 5- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
- 6- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि (06)/2001 दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।


प्रबन्ध निदेशक

(2)

पत्रांक : 1479 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तददिनांक 20 FEB 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पॉवर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (तकनीकी)/(वित्त)/(वाणिज्य), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
4. मुख्य अभियन्ता (मा०सं० एवं प्रशा०)/(पाईम)/(वाणिज्य)/(ज्ञानपद), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. मुख्य अभियन्ता (वितरण), मेरठ/गाजियाबाद/सहारनपुर/मुरादाबाद क्षेत्र।
6. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटर इकाई), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशि० एवं मा०संसा० एवं वि०), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
9. अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय/नोडल अधिकारी), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को वैब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
10. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, गाजियाबाद/बिजनौर/बागपत।
11. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, मुरादाबाद/नोएडा।
12. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर/बिजनौर।
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
14. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४)/(०७)/(गोपन) अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्तिभवन विस्तार, लखनऊ।
15. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
16. प्रबन्ध निदेशक महोदय का कैम्प कार्यालय।
17. संबंधित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।
18. कम्प्यूटर अनुभाग, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।



(एस०के० गुप्ता)

अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर